न्यायालय सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोंठ जनपद झाँसी।

परिवाद संख्या–764/2014

जे0ओ0कोड–यू0पी0 3567

उपस्थितः– शुभम चौधरी (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

श्रीमती मीराबाई बनाम रामकिशोर

अ० सं0–39/2008

धारा–323,504,506 भा0दं0सं0

थाना–,शाहजहांपुर

जिला–झांसी

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त **रामकिशुन उर्फ रामकिशोर** न्यायालय उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

स्वतः जुर्म स्वीकार के आधार पर अभियुक्त को धारा– **323,504,506 भा0दं0सं0** के अपराध में दोषी पाया जाता हैं और दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर पृथक से सुना जायेगा।

(शुभम चौधरी)
जे0एम0, मोंठ, झांसी

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह स्वेच्छा से आरोप पत्र में वर्णित सभी धाराओं में जुर्म इकबाल करना चाहते है, जिस कारण उसे कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामला वर्ष 2014 से विचाराधीन है। अभियुक्त जुर्म स्वीकार कर न्यायालय का कार्य आसान किया है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति तथा उसकी उम्र को दृष्टिगत रखते हुये उसे स्वतः जुर्म स्वीकार के आधार पर धारा **323,504,506 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा अभियुक्त को मु0 **700/रूपये** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त **रामकिशुन उर्फ रामकिशोर** को उसके स्वतः जुर्म स्वीकार के आधार पर **परिवाद वाद संख्या 764/2014**, **मीराबाई बनाम रामकिशुन उर्फ रामकिशोर** के प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त को धारा **323 भा0दं0सं0** के अपराध के लिये सिद्धदोष पाते हुये **200/रूपये (दो सौ रूपये),** धारा **504 भा0द0सं0** के अपराध के लिये सिद्धदोष पाते हुये **200/रूपये (दो सौ रूपये)**, धारा **506 भा0द0सं0** के अपराध के लिये सिद्धदोष पाते हुये **300/रूपये (तीन सौ रूपये)**के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 30 दिन की साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।

दिनांक–17.03.2026

(शुभम चौधरी)
जे0एम0, मोंठ, झांसी

उक्त निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– 17.03.2026

(शुभम चौधरी)
जे0एम0, मोंठ, झांसी_